समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, आलमनगर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित, किया गया है कि **श्री नवल कुमार यादव पे0 स्व0 श्रीमंत ना0 यादव, सा0 फोरसाही थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-02/1988 (आलमनगर थाना)** का भौतिक सत्यापन अगामी लोक सभा चुनाव-2014 के अवसर पर नहीं कराया गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के द्वारा इस अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदन पत्र एवं शस्त्र का विहित प्रपत्र में विवरण भरकर समर्पित करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति को वर्ष 2013-15 तक के लिए नवीकरण करने हेतु अनुरोध किया है। अनुज्ञप्ति वर्ष 2012 तक नवीकृत है। नवीकरण शुल्क वर्ष 2013-15 कोषागार चलान के माध्यम से जमा है। विहित प्रपत्र की अधिकांश कंडिका/ कॉलम अधूरा है। शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भौतिक सत्यापन हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 4.10.13, 5.10.13 एवं 19.10.13 को भी इन्होंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। यह पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी की लापरवाही को दर्शाता है। बार-बार अवसर दिए जाने के वावजूद शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छाचारिता एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त का उल्लंघन है।

अतएव थानाध्यक्ष, आलमनगर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्री नवल कुमार यादव पे0 श्री श्रीमंत ना0 यादव, सा0 फोरसाही थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति** सं0-02/88(आलमनगर थाना) को तत्कालिक प्रभाव से **''निलंबित''** किया जाता है। धारा-21 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक सं0-2577 को आलमनगर थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्पष्टीकरण के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा प्राप्त प्रतिवेदन को आधार मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **''निलंबित''** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 241 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 29.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, आलमनगर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री नवल कुमार यादव पे0 श्री श्रीमंत ना0 यादव, सा0 फोरसाही थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा